राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर

आदेश

एकलपीठ दाण्डिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-**6752/2014**

नज्जो उर्फ नजर अली बनाम राजस्थान राज्य

दिनांक:**28.11.2014**

माननीय न्यायाधिपति श्री प्रशान्त कुमार अग्रवाल

श्री दिनेश कुमार गर्ग , अधिवक्ता-अभियुक्त-प्रार्थी की ओर से
श्री प्रकाश ठाकुरिया- विद्वान् लोक अभियोजक वास्ते राज्य

--

अभियुक्त-प्रार्थी ने अपनी जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन पुलिस थाना-**मनिया, धौलपुर** में पंजीबद्ध की गयी प्रथम सूचना संख्या-**77/2014** अपराध अन्तर्गत धारा-3,5,8 राजस्थान गौ हत्या निवारण अधिनियम के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है।

इस पर अधिवक्ता अभियुक्त-प्रार्थी व विद्वान् लोक अभियोजक को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

यधपि प्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में कुछ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना जाहिर हुआ है किन्तु वर्तमान प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा पत्रावली पर उपलब्ध करायी गयी सामग्री तथा विशेष रूप से इस प्रकरण में प्रार्थी की अभिरक्षा अवधि तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि सह- अभियुक्त नवाब खां को सहपीठ द्वारा पूर्व में जमात की सुविधा दी जा चुकी है तथा प्रार्थी के विरूद्ध समान प्रकृति का पूर्व में अन्य कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, मैं प्रकरण के इस प्रक्रम पर गुणदोषों पर कोई अन्तिम राय व्यक्त किये बिना अभियुक्त-प्रार्थी को जमानत की सुविधा दिया जाना उचित मानता हूं।

अत: अभियुक्त-प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह जमानत का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त-प्रार्थी नज्जो उर्फ नजर अली पुत्र पीर खाँ निवासी- जिला- शाजापुर, मध्यप्रदेश द्वारा रूपये **50,000/- (पचास हजार रूपये मात्र)** का स्वयं का बंध पत्र व रूपये **25,000/- - 25,000/- (पच्चीस- पच्चीस हजार रूपये मात्र)** की दो प्रतिभूति विचारण न्यायालय की सन्तुष्टि की पेश की जावे तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-**77/2014** पुलिस थाना- **मनिया, धौलपुर** से सम्बन्धित प्रकरण में इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा कर दिया जावे कि वह प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा बुलाये जाने पर उपस्थित होता रहेगा।

(न्या0 प्रशान्त कुमार अग्रवाल)

अनिलशर्मा/M-1

"all corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being e-mailed."अनिल शर्मा/ps"